(326)

TO BE PUBLISHED IN THE GAZETTE OF INDIA, PART II, SECTION 3(11) / dated 9/4 red, 1976

GOVERNMENT OF INDIA/BHARAT SARKAR MINISTRY OF HOME AFFAIRS/GRIH MANTRALAYA

New Delhi, the 25th September, 1976.

## NOTIFICATION

In the said notification, for the words "State Government", the words, figures and brackets "State Government, in the Union territory of Delhi or Chandigarh, as the case may be, except in relation to areas within the local limits of cantonments, if any, declared as such under section 3 of the Cantonments Act, 1924 (2 of 1924)," shall be substituted.

\_No.U-11030/4/76-UTL \_/

Vonauch

UNDER SECRETARY TO THE GOVERNMENT OF INDIA.

To

The Manager, Government of India Press, Mayanuri Industrial Area, Ring Road, NEW DELHI.

## मारत के राजपत्र, भाग-2, लण्ड-3, उपलण्ड (।।) में पुकाशनार्थ

## गह मंत्रालय

नई दिल्ली, तारील 25 सितम्बर, 1976. अधिसवना

देत है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना एस0 और 2123 तारील 29 अप्रल, 1976 में निम्नलिखित संशोधन किए जाएंग, नामत

उक्त अधिसूनना में राज्य सरकार शब्दों के स्थान पर राज्य सरकार, दिल्ली अथवा चण्डीगढ़ संघ राज्य दात्र, जसा भी मामला हो, कन्टानेमंट दात्र की स्थानीय सीमाओं के अन्तर्गत, कोई भी हो, उन दात्रों को कोड़कर जो कन्टोनेमंट्स अधिनियम, 1924 (1924 का 2) की धारा 3 में ऐसे ही घोषात किए गए हैं शब्द, आंकंड तथा कोष्टक प्रतिस्थापित किए जारेगा।

> (सं0 यू0 1103014176-यू0 टी 0 एल0) रिशिश वन्द्र बरकी)
> अवर सचिव, भारत सरकार

सवा भ

भारत सरकार मुद्रणालय, मायापुरी दीषीणिक दात्र, रिंग राड, नहीं दिल्ली।